प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक 134 वर्ष2009

अपीलार्थी: ताम्रेश्वर प्रसाद उपाध्याय
उत्तरदाता क्रमांक 5

<u>बनाम</u>

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री आर एन चंद्राकर न्यायाधीश

मै सहमत हूँ

सही/-
आर एन चंद्राकर
न्यायाधीश

20 अगस्त ,2009 को निर्णय के लिए सूचिबद्ध करें

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>रिट अपील क्रमांक 134/2009</u>

अपीलार्थी: ताम्रेश्वर प्रसाद उपाध्याय, पुत्र भागवत प्रसाद उपाध्याय, आयु लगभग 42 वर्ष, व्यख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चैतमा, जिला कोरबा (छ.ग)

बनाम

प्रत्यर्थी: 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग डी के एस भवन रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. कलेक्टर , आदिम जाति कल्याण ,कोरबा ,जिला कोरबा (छ.ग.)

3. कलेक्टर सह जिला निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन कोरबा ,जिला कोरबा (छ.ग.)

4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकरी ,पाली , तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)

5. ओ. पी शर्मा ,पिता स्व. श्री बी. पी. शुक्ला , उम्र लगभग 55 वर्ष , निवासी ग्राम एवं पोस्ट पाली तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)

.....प्रत्यर्थी

उपस्थित :

श्री एच.बी.अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री के.एस.पवार, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के लिए उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित।

श्री वी.आर तिवारी, प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता।

युगल पीठ माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा

एवं माननीय श्री आर एन चंद्राकर न्यायाधीशगण

आदेश

(20 अगस्त 2009 को पारित किया गया)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ती धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया और कलेक्टर एवं जिला विजन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, कोरबा द्वारा पारित दिनांक 15/12/2008 के आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसके तहत प्रत्यर्थी क्रमांक 5 की सेवाएं उसके मूल विभाग में वापस कर दी गई थीं और उसके स्थान पर अपीलार्थी को पदस्थ किया गया था। प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के संबंध में यह आदेश निरस्त कर दिया गया है ।

2. इसके बाद पक्षकारों को उनके विवरण के अनुसार रिट न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा ।

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी माध्यमिक शाला, सिल्ली, ब्लॉक पाली में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत था। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने आदेश दिनांक 28-07-2007 अनुलग्नक- पी/5 के माध्यम से आदेश दिया कि अपीलार्थी, जो वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विघालय, बेहरचुआ, ब्लॉक करतला में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत है, को राजीव गांधी शिक्षा मिशन, ब्लॉक पाली मे जैव संसाधन समन्वयक का कार्यभार सौंपा जाए। उन्होंने 31 जुलाई, 2007 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। 28/07/2007 के आदेश को श्री एन.के शर्मा ने रिट याचिका (एस) क्रमांक 4729/2007 दायर करके चुनौती दी थी, जिसका निराकरण दिनांक 18/06/2008 के आदेश द्वारा किया गया था। अपिलार्थी 18/07/2008 से पाली में ब्लॉक संसाधन समन्वयक के रूप में कार्यरत है (अनुलग्नक - पी/10) दिनांक 15/12/2008 के आक्षेपित आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने अपीलार्थी की सेवाएँ उसके मूल विभाग को वापस भेज दीं और उसके स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 5 (यहां अपिलाकर्ता) को पदस्थ करने का आदेश दिया गया। रिट याचिका क्रमांक 3997/2007 (राधेलाल नाग बनाम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित दिनांक 27/03/2008 के आदेश के अनुसरण में और 2/12/1988 के परिपत्र के मद्देनजर, प्रत्यर्थी क्रमांक 5 की याचिका स्वीकार कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ली गई और यह माना गया कि अपीलार्थी संबंधित विभाग अर्थात राजीव गांधी शिक्षा मिशन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने का हकदार है ।

4.अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने तर्क किया कि अनुलग्नक- पी/5 के आदेश के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर नही भेजा गया था, बल्कि उसे पाली के ब्लॉक समन्वयक का कार्यभार सौंपा गया था। उसका वेतन उसके मूल पदस्थापना स्थान से प्राप्त होता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हायर सेकेण्डरी स्कूल, बेहरचुआ, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के ज्ञापन दिनांक 7/4/2009 से स्पष्ट होगा और, इसलिए अपीलार्थी की सेवाओं के प्रत्यावर्तन का प्रश्न नहीं उठता है ।

5. **'कुणाल नंदा बनाम भारत संघ और अन्य1'** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब करते हुए, यह तर्क दिया गया कि एक प्रतिनियुक्त उस विभाग में स्थायी संविलियन के लिए अपने दावे का दावा नहीं कर सकता और सफल नहीं हो सकता जहां वह प्रतिनियुक्ति पर था, जब तक कि उसका उद्देश्य विधि के बल

वाले किसी वैधानिक नियम, विनियम या आदेश पर आधारित न हो। एक प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को हमेशा और किसी भी समय, प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग या मूल विभाग के कहने पर, अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहने या प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग में संविलियन होने का कोई निहित अधिकार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अबलंब लिया गया परिपत्र केवल सलाह प्रकृति का है और इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। परिपत्र अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उसके मूल विभाग में उसके प्रत्यावर्तन को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार नहीं देता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर प्रतिवादी क्रमांक 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी आर तिवारी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश केवल प्रतिवादी क्रमांक 5को समायोजित करने के लिए पारित किया गया था और इस प्रकार यह दुर्भावनापूर्ण है।

7. **भारत संघ द्वारा पांडीचेरी सरकार और अन्य बनाम वी. रामाकृष्णन और अन्य 2** के मामले में निर्णय पर अवलंब करते हुए यह तर्क दिया गया कि जहां[1]

---

[1].(2000) 5 SCC 382

प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं है, वहां भी प्रत्यावर्तन के आदेश पर सवाल उठाया जा सकता है जब वह दुर्भावनापूर्ण हो।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने डब्लू पी (एस) क्रमांक 7178/2008 के अभिलेख तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है।

9. 1 - कुणाल नंदा मामले (पुर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह उचित है जिस विभाग में वह प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है,यदि उसकी नियुक्ति किसी वैधानिक नियम, विनियम या विधि के बल आदेश पर आधारित है, तो वह संविलियन के ऐसे किसी भी दावे का दावा नहीं कर सकता और न ही उसमें सफल हो सकता है। प्रतिनियुक्ति का मूल सिद्वांत यह है कि संबंधित व्यक्ति को किसी भी विभाग के कहने पर किसी भी समय, अपने मूल विभाग में अपने मूल पद पर कार्य करने के लिए प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहने या उस विभाग में संविलित होने का कोई निहित अधिकार नहीं है जिसमें कि वह प्रतिनियुक्ति पर गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वी. रामाकृष्णन एवं अन्य (पुर्वोक्त) के मामले में पैरा-32 में, यह इस प्रकार कहा गया है-

"समान्यतः, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता जिस पर उसे प्रतिनियुक्ति किया जाता है। हालांकि, इस पर भी कोई रोक नहीं है। यह सच हो सकता है कि जब प्रतिनियुक्ति के परिणामस्वरूप उस सेवा में संविलियन नहीं होता जिसमें किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति किया जाता है, तो उसके वास्तविक महत्व और महत्व में कोई भर्ती नहीं होती क्योंकि वह मूल सेवा का सदस्य बना रहता है। जब प्रतिनियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट की जाती है, तो प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति के पास उक्त पद धारण करने का अविभाज्य अधिकार न होने के बावजुद, सामान्तः प्रतिनियुक्ति की अवधि को अनुपयुक्तता या असंतोषजनक कार्य-निष्पादन जैसे उचित आधारों को छोडकर कम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, वहाँ भी प्रत्यावर्तन के आदेश पर प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह दुर्भावनापूर्ण[2]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2].(2005) 8 SCC 394

हो। जल्दीबाजी में की गई कार्यवाही भी दुर्भावना का संकेत देती है। ”

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पैरा-10 और 11 में निम्नानुसार अवलोकित किया:-

“ 10. यह मामला दो वर्ष की अवधी पूरी होने से पहले प्रतिनियुक्ति संविलियन का है जो राधेलाल नाग (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया, जिसमें इस न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

“ 10. पूर्वोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी, प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग अर्थात राजीव गांधी शिक्षा मिशन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने का हकदार है। अपीलार्थी/संबंधित कर्मचारी की सहमति के बिना, अपीलार्थी की सेवाओं को दो वर्ष से पहले प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता

है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश गलत है और 2.12.1988 के परिपत्र के विपरीत है।"

11. उपर्युक्त कारणों से, इस याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी दिनांक 28.07.2007 के आदेश के अनुसार अपनी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बना रहेगा। अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 15.12.2008 का आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/1 निरस्त किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अनुलग्नक - पी/5 आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ब्लॉक समन्वयक के रूप में नियुक्ति अनिर्दिष्ट अवधि के लिए थी, हालाँकि आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी को ब्लॉक समन्यवयक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था, लेकिन अनुलग्नक- पी/5 और अनुलग्नक- पी/1 के आदेशों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। प्रतिवादी/राज्य ने पतिवादी संख्या 3 द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी, पाली को संबोधित दिनांक 7/4/2009 का एक ज्ञापन अभिलेख में प्रस्तुत किया है । इसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वेतन उनके मूल पदस्थापना स्थान

अर्थात राजकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय बेहरचुआ से लिया जाता था और उन्हें कभी प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया था।

13. जैसा भी हो, हमारे लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को दिनांक 2/12/1988 के परिपत्र के मद्देनजर ब्लॉक शिक्षा समन्वयक के रूप में बने रहने का दावा करने का कोई विधिक अधिकार था ?

14. उपरोक्त परिपत्र को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह राज्य सरकार का एक आंतरिक परिपत्र है जिसके द्वारा बाह्य - संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए दिशानिर्देश अधिसुचित किया गया है और इसे किसी वैधानिक प्रावधान के तहत किया गया है तथा यह केवल सलाह प्रकृति का है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह स्थापित विधि है कि दिशा निर्देश अपने आप में विधि का स्वरूप नहीं रखते। वैधानिक पृष्टभूमि के अभाव में ऐसे दिशानिर्देश सलाह प्रकृति के होते है। दिशानिर्देश, अपनी प्रकृति से ही, प्रत्यक्ष, अधीनस्थ या सहायक, किसी भी प्रकार के विधान की श्रेणी में नहीं आते। उनकी भूमिका केवल दिशा निर्देशसात्मक है और उनका पालन न करना या उनसे विचलन अनिवार्य रूप से और निहित रूप से

स्वीकार्य है। दिशानिर्देश अपने आप में सलाहकारी प्रकृति के होने के कारण कोई विधि अधिकार प्रदान नहीं करते। **पूनम वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण सं 3 (पैरा-24) और न्यू इंडीया इंनश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बनाम नुस्ली नेविल वाडीया एवं अन्य (पैरा-23) 4** के मामलो में दिये गए निर्णयों से हमारा मत पुष्ट होता है ।

16. प्रतिवादी क्रमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.आर. तिवारी ने भी अनुलग्नक -पी 1 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 5 को समायोजित करने के लिए दुर्भावनापूर्वक पारित किया गया था। हालाँकि, रिट याचिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि उक्त आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के विरूध्द दुर्भावना का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। इसके विपरीत, उक्त ओदश के अवलोकन से, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दुर्भावना के आधार पर न तो तर्क दिया गया और न ही उस पर विचार किया गया।[3]

17. राधेलाल नाग (पूर्वोक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने परिपत्र दिनांक 2/12/1988 के पैरा -2 का हवाला देते हुए माना है कि अपीलार्थी

[3].AIR 2008 SC 870
4. (2008) 3 SCC 279.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने का हकदार है।

18. इन परिस्थितियों में, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपेक्षित आदेश में संदर्भित उपरोक्त परिपत्र दिनांक 2/12/1988 राज्य सरकार द्वारा जारी एक आंतरिक दिशानिर्देश है तथा यह सलाह प्रकृति का है तथा यह प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ राज्य सरकार के कर्मचारी को न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया कि अपीलार्थी ने 31/07/2007 को प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था और वह अभी भी वहीं कार्यरत है तथा इस प्रकार उसने राजीव गांधी शिक्षा मिशन में 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

20. उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, **कुणाल नंदा और वी. राधाकृष्णन** (पूर्वोक्त) के मामलों में निर्णयों पर अवलंब लिया गया, हम मानते है कि अपीलार्थी के पास प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं था, ऐसा कोई सबुत

नहीं है कि प्रत्यावर्तन का आक्षेपित आदेश दिनांक 15/12/2008 (अनुलग्नक- पी 1) दुर्भावना से पारित किया गया था, परिपत्र दिनांक 02-12-1988 किसी वैधानिक नियम, विनियमन या विधि के बल वाले आदेश के तहत जारी नहीं किया गया था और यह प्रतिनियुक्ति पर बने रहने को कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है ।

21. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, रिट याचिका स संख्या 7178/2008 में पारित दिनांक 29अप्रैल 2009 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते है और प्रतिवादी संख्या.5 दायर उपरोक्त रिट याचिका को खारिज करते हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई ओदश नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Advocate Soniya Sahu.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur